भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 10
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 (29 आषाढ़ 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

ओडिशा में हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का कार्यान्वयन

10. श्री शुभाशीष खुंटियाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ओडिशा में, विशेषकर दूर-दराज़ के जनजातीय और आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का विस्तार करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ओडिशा के दूरस्थ जनजातीय तथा चक्रवात-प्रभावित क्षेत्रों में एचईएमएस की आवश्यकता का आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हेलीकॉप्टर प्रचालन को सुगम बनाने के लिए कोई नीतिगत या विनियामक उपाय किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ओडिशा में आपातकालीन हवाई चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने संबंधी उपाय प्रस्तावित हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): वर्तमान में, ओडिशा के लिए एचईएमएस हेतु कोई भी प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं (एचईएमएस) से संबंधित विनियम मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर प्रचालक इस विषय पर डीजीसीए परिचालन परिपत्र 02/2016 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार परिचालन कर सकता है। देश में कहीं भी ऐसे परिचालन करने के लिए डीजीसीए का कोई प्रतिबंध नहीं है।

आपदा प्रबंधन में हेलीकॉप्टर के उपयोग संबंधी अपेक्षाएं डीजीसीए परिचालन परिपत्र 04/2019 के तहत प्रकाशित की गई हैं।
